



बिहार सरकार

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खां मार्ग, पटना-800 014

संख्या-FC/32/2020- 618

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 30/08/2024

**विषय-** श्री गणेश कुमार दास द्वारा जमुई जिलान्तर्गत बैजा मौजा के खाता संख्या-01, खेसरा संख्या-60, 62, अंचल-चकाई में जमुई-चकाई पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.024 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

**प्रसाग-** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्रांक FP/PB/Approach/ 49539/2020/1599, दिनांक 09.11.2023

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 06.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है—

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 09.11.2023 में निहित कंडिका	अनुपालन
----------	---	---------

**A:** Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु ₹ 0 8,94,632.00 (₹ 0 आठ लाख चौरानवे हजार छ: सौ बत्तीस) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 150627049539068, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 02.05.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. UCBAH24123465317 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
---	--	---

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.024 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated .....	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.024 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये ₹ 9,57,780/- प्रति हेक्टेयर की दर से कुल ₹ 22,987/- (वाईस हजार नौ सौ सतासी रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 150627049539068, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 02.05.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. UCBAH24123465317 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-protal .....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 02.05.2024 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The complete compliance of the FRA,2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
5	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 .....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6	The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> )	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।

**B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:**

1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall .....	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। उक्त कार्य को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble .....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per .....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having .....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel .....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with .....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

d	Suitable plantations should be raised by the user agency along .....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency .....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the labours and staff engaged in construction activity do not .....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without .....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8 (a)	The forest land shall not be used for any purpose other than .....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The period of diversion under this approval shall be .....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The forest land proposed to be diverted shall under .....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other conditions that the Ministry of Environment, .....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.024 हेक्टर सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—FC/32/2020- 618

दिनांक— 30/08/2024


प्रतिलिपि : वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर /वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई एवं श्री गणेश कुमार दास, पिता—श्री भरत दास, द्वारा—हिन्दुस्तान मैडिकल, चकाई बजार, जिला—जमुई, पिन—811303 को सूचना हेतु प्रेषित।

  
(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

## Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Disst./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Bhojpur/ Bhojpur Forest Division, Ara.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Shree Ganesh Kumar Das / BPCL Retail Outlet				
4	Extent of forest area involved	0.024 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	09.11.2023				
8	<b>Extent of CAMPA charges head wise viz.</b>					
	a. Compensatory Afforestation	8,94,632/-				
	b. Additional CA	-NA-				
	C. Penal CA	-NA-				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
	g. Net present Value	22,987/-				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
		1	e-challan	UCBAH24123465317 dt. 02.05.2024	22,987/- 8,94,632/-	NPV CA
					<b>Total-</b>	<b>9,17,619/-</b>
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, Bengaluru on dt. 02.05.2024				
12	Any other remarks					

  
**(Arvinder Singh)**  
 Signature of APCCF (CAMPA)-  
 09.11.2023

सेवा में,

अपर ग्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

दिनांक - 06/08/2024

**विषय—** श्री गणेश कुमार दास द्वारा जमुई जिलान्तर्गत बैजा मौजा के खाता संख्या 01, खेसरा संख्या—60, 62 अंचल—चकाई में जमुई—चकाई पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.024 है, वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

**प्रसंग—** आपका पत्रांक FC/132/2020-250 दिनांक 22.04.2024  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/49539/2020/1599, दिनांक 09.11.2023 द्वारा दो भाग में Stage-I की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग—A में 1 से 6 एवं भाग—B में 1 से 9 शर्तें अधिरोपित की गयी हैं। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

#### भाग—A

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,94,632/- मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 02.05.2024 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. UCBAH24123465317 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।  
NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.024 है। अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु 0 9.57780 लाख प्रति है। की दर से कुल रु 0 22,987/- बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 02.05.2024 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. UCBAH24123465317 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
2. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 के खाता में दिनांक 02.05.2024 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3. जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण—पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
4. मेरे द्वारा वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।



6. मेरे द्वारा सभी शर्तें का Compliance report, Ministry के Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।


#### भाग-B

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूगा
2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,94,632/- मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 02.05.2024 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. UCBAH24123465317 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करूगा
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
  - a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
  - b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
  - c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
  - d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- 8 (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।


#### अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,



गणेश कुमार दास,  
पिता—श्री भरत दास,  
द्वारा—हिन्दुस्तान मेडिकल,  
चकाई बजार, जिला—जमुई

## AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds  
Date : 24-04-2024

Agency Name,	GANESH KUMAR DAS
Application No.	7049539068
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/49539/2020
Location,	BIHAR
Address,	Ganesh Kumar Das, S/o Sri Bharat Das, C/o Hindustan Medical Chakai Bazar, PO Chakai Dist. Jamui Jamui
Amount(in Rs.)	917619/-

Amount in Words: Nine Lakh Seventeen Thousand Six Hundred and Nineteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150627049539068 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jehutta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only.

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print



Txn no :- 000247506477

UTR No:- UCBAH 24123465317

XUTR No:- UCBAR 52024050200465317

Dated : , 02/05/2024

**कार्यालय, जिला पदाधिकारी, जमुई के तहत रैखिक परियोजना  
निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र**

**(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक  
28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)**

संख्या ३५३ / सा०, दिनांक २२/०२/२०२४

प्रमाणित किया जाता है कि जमुई जिले में प्रयोक्ता एजेंसी B.P.C.L. बरौनी द्वारा B.P.C.L. रैखिक परियोजना निर्माण स्थान चकाई-गिरिडीह पथ किनारे तक कुल 32 मी० में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.02हेएरकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 1842, दिनांक 24.11.2020 एवं अंचल अधिकारी, चकाई के पत्रांक 742 दिनांक 29.09.2023 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदक को प्रेषित पत्र के आलोक में आवेदक द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है।

तदआलोक में प्रस्ताव के जॉचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होनेवाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान—जमुई  
तिथि—२२/०२/२०२४

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
*जिला पदाधिकारी*

**OR**

Certified that Forest land Proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13<sup>th</sup> day Of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011

Place: JAMUI  
Dated:

District Magistrate  
and Officer-in-Charge  
*जिला पदाधिकारी*